एक अभिन्न अंग रहा है । यह एक पवित्र आशा है । यह अनुच्छेद जो आज केवल काश्मीर पर ही लागू है, भविष्य में अन्य स्थानों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : इस विषय पर हमने काफी लम्बी चर्चा की है । कई प्रकार की बातें उठायी गई हैं । मैंने पहले जो आशा व्यक्त की थी कि जनसंघ इस समझौते की भावना तथा लाभों को समझेगा, वह निराशा में बदल गई है । यह उनके दृष्टिकोण से सिद्ध हो जाता है ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Speaker in the Chair)

यह समझौता भारतीय संविधान के अन्तर्गत किया गया है और इस समझौते को करते हुए यह ध्यान में रखा गया है कि केन्द्र भी सुचारू रूप से कार्य करता रहे तथा राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास होता रहे ।

कुछ सदस्यों ने स्वायत्तता की बात की है । संविधान में सुदृढ़ केन्द्र की व्यवस्था है फिर भी यह राज्यों को कुछ स्वायत्तता देता है ।

महात्मा गांधी के बराबर हममें से कोई भी नहीं हो सकता किन्तु केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मामले में हम व्यक्तिपरक नहीं हैं । यदि प्रत्येक राज्य केवल अपने ही हितों की सोचेगा तो फिर पिछड़े राज्यों की सहायता किस प्रकार की जायेगी । हमारे राज्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं । एक को दूसरे से किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही है । केन्द्र उनको एक रस्सी से बांधकर उनमें अभिन्नता पैदा करता है ।

मैं विविधता तथा विकेन्द्रीकरण में विश्वास करती हूं । सभी को अपने संसाधन बढ़ाने चाहिएं । किन्तु समान रूप से एकता का होना भी आवश्यक है । जब तक केन्द्र मज़बूत नहीं है तब तक देश में एकता नहीं रह सकती । राज्य स्वायत्तता राष्ट्रीय शक्ति से पृथक है । यदि कोई राज्य स्वायत्तता के बहाने पर कोई ऐसी मांग करता है जो कि राष्ट्र के हित में नहीं है उसे देशवासी स्वीकार नहीं करेंगे ।

अनुच्छेद 370 के पक्ष में, विपक्ष में तथा स्पष्टीकरण के बारे में कई सदस्यों ने कहा है । संविधान में यह अनुच्छेद जम्मू और काश्मीर राज्य के ऐतिहासिक तथा राजनीतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर रखा गया है । इन तमाम वर्षों में यह सन्तोषजनक ढंग से कार्य करता रहा और इसी तरह इस राज्य में कई महत्वपूर्ण तथा आवश्यक उपबन्ध लागू किए गए । राज्य में कुछ और भी उपबन्ध लागू किए जा सकते हैं । (**व्यवधान**) मैंने कल जो एक वाक्य बोला था, श्री वाजपेयी ने उसके बारे में बहुत कहा है । विपक्ष की यही आदत हैं कि वह किसी भी मामले की भावना को समझे बिना किसी एक विशेष बात की रट लगाए फिरते हैं ।

श्री पीलू मोदी : विपक्ष क्यों ?

श्रीमती इंदिरा गांधी: अनुच्छेद 370 की वर्तमान स्थिति के बारे में मेरा विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा 1970 में दिए गए निर्णय पर आधारित है ।

राज्य संविधान सभा ने, जिसने अपना कार्य 1956 में पूरा किया था, अनुच्छेद 370 को हटाने या उसमें संशोधन करने का सुझाव नहीं दिया अतः यह हमारे संविधान का एक अंग बन गया और इस स्थिति की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने 1970 में कर दी थी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अब भारत में कोई संविधान सभा नहीं हैं तो क्या भारत के संविधान में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता ? यह कोई तर्क नहीं है ।

श्रीमती इंदिरा गांधी: मैं यह नहीं कह रही हूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

श्री पीलू मोदी: वह कह रही हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । मैं कहता हूं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: यह समझौता करके हमने समर्पण नहीं किया है और न ही इससे जम्मू और काश्मीर तथा केन्द्र के सम्बन्धों में कोई शिथिलता नहीं आयेगी । यह कहना सही नहीं है कि यह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनकर रह जायेगा ।

कहा गया है कि इस समझौते में कुछ गुप्त खण्ड रखे गए हैं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है । वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, नागरिक आजादी और धार्मिक समानता के उस सन्देश की ओर आकर्षित हुए जिसका प्रचार हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा किया जा रहा था और उनके नेशनल कान्फ्रेंस दल का मार्गदर्शी सिद्धान्त यही सन्देश हो गया । यदि वह भारत के साथ रहे हैं और यदि उन्होंने काश्मीर की जनता को अपना भाग्य भारत के साथ जोड़ने के लिए सहमत किया है तो उसका कारण है हमारे दल की नीतियां । यदि हम जनसंघ की नीतियों पर चलते तो मेरा विचार है कि काश्मीर कभी भी भारत में न मिलता ।

इसके बाद की घटनाओं की भी चर्चा की गई है । पिछली गलतफहमियों या गलतियों को दोहराने का कोई लाभ नहीं । कुछ आन्तरिक घटनाओं के कारण कुछ कार्यवाहियां करनी पड़ीं । जब हमें लगा कि दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ है तो हमने वार्ता आरम्भ करने में झिझक नहीं की । शेख अब्दुला द्वारा वार्ता का अवसर प्रदान किया गया । वह राष्ट्र को मुख्य धारा में सम्मिलित होने और अपने अनुभव तथा आदर्शों द्वारा हमारे देश की लोकतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिये तैयार हो गये ।

शेख अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा है कि उनका सदा यह विश्वास रहा है कि काश्मीर की भलाई भारत के साथ रहने में ही है । उन्होंने पुनः यह बात दोहरायी है कि काश्मीर का भारत में विलय एक विवादास्पद विषय नहीं रहा है । प्लेबसिट फ्रन्ट के इस निर्णय से कि वह अपने उद्देश्य और नाम में परिवर्तन कर रहा है, सभी सन्देह दूर हो जाने चाहियें । प्लेबसिट फ्रन्ट के होने से देश को बाहर देश से शत्रुता रखने वालों को प्रोत्साहन मिलता था । अब यह बात समाप्त हो जानी चाहिये । इसका यह अर्थ यह नहीं कि अब शत्रुता नहीं रहेगी लेकिन हमें उसका सामना तो करना ही है । मुझे विश्वास है कि शेख साहिब ऐसा करने में सफल होंगे ।

मुझे पूरी आशा है कि श्री शमीम भी इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे । हमें शेख साहिब के दृष्टिकोण को पहचानना चाहिये । हमें भी उनकी कठिनाइयों की समझना चाहिये और उन्हें भी हमारी कठिनाइयों की जानकारी होनी चाहिये । इसी कारण हमें समझौता करने में विलम्ब हुआ ताकि समझौते के लिये वातावरण तैयार किया जा सके । हमें इसमें सफलता मिली है । हमें शेख साहिब

की हर सम्भव सहायता करनी चाहिये ताकि वे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। वार्ता के दौरान मिर्जा अफजल बेग द्वारा निभाई गई ठोस भूमिका के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। सइद मीर कासिम ने भी लाभदायक कार्य किया। उन्होंने बड़े हित के लिये छोटे हित को कुरबान कर दिया। श्री पार्थसारथी, श्री बालकृष्णन और सरदार स्वर्ण सिंह सभी ने इस नाजुक कार्य में योगदान दिया है।

मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र श्री मावलंकर ने मृदुला साराभाई का उल्लेख किया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उनकी बीमारी से पूर्व हमने इस मामले पर चर्चा की थी। उन्हें पूरी जानकारी थी। मुझे पता है कि उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी।

जम्मू और लद्दाख की घटनाओं से हमें बहुत चिन्ता हुई है। जम्मू में जो काम हुआ है उसके बारे में डा० कर्ण सिंह ने बताया है। अभी कुशोक बाकुला ने कहा कि लद्दाख के लिये कुछ नहीं किया गया है। यह बात पूरी तरह ठीक नहीं। वहां विकास कार्य हुए है लेकिन यह सच है कि ये काम अपर्याप्त हैं। मैंने इन क्षेत्रों के विकास में रुचि ली है और मैं इन क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा भी करती रही हूं। शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत के दौरान मैंने इन क्षेत्रों की कठिनाइयों की विशेष रूप से चर्चा की थी। हाल के महीनों में शेख साहिब ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि वह सभी क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार करेंगे। उनके मंत्रिमण्डल के गठन के ढंग से प्रतीत होता है कि वह जम्मू और लद्दाख के विषय में सोचते हैं।

जम्मू और काश्मीर में विशेष स्थिति है। इसका कारण उसका संविधान अथवा मुसलमानों का बहुमत होना नहीं है बल्कि यह इसलिये है कि उन्हें हम पर किये गये आक्रमणों के दौरान बार-बार युद्ध-भूमि बनना पड़ा है। राज्य के तीनों ही क्षेत्रों को आक्रमण का सर्वाधिक मुकाबला करना पड़ा है। मैं उन वीर गुज्जरों, बाकरवालों और गड्डियों का उल्लेख करना चाहती हूं। इन समुदायों के लोगों को निर्धनता और कठिनाइयों का सबसे अधिक सामना करना पड़ा है। हमें शिक्षा तथा रोजगार देकर उनकी पर्याप्त सहायता करनी चाहिये। मुझे आशा है कि उनकी समस्याओं की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

मैं समझती हूं कि जिन बातों की चर्चा की गई है, उनमें से अधिकांश का उत्तर दिया जा चुका है। देश के सामने जो समस्याएं है उनका बातचीत द्वारा हल निकाला जाना चाहये। लम्बे अरसे से चली आ रही समस्या को अवश्य सुलझाया जाना चाहिये विशेषकर ऐसे समय जबकि हमारे अन्दर योग्यता है और हमें अवसर प्राप्त हुआ है।

यद्यपि विपक्ष हम पर और हमारे दल पर आक्षेप करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता तथापि हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि देश के व्यापक हित में यह समस्या सुलझा ली जाये। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि काश्मीर में हमारे दल के प्रदेश एकक ने अथवा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दल के निजी स्वार्थों का ध्यान नहीं किया है बल्कि हमारे देश की एकता को और उसकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है।

हमें किसी चमत्कार की या तनाव एकदम तुरन्त समाप्त होने की आशा नहीं करनी चाहिये। चाहते तो हम भी ऐसा ही है लेकिन जीवन में समस्याएं तो आती ही है और उनके समाधान करते समय और कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। लेकिन समझ-बूझ और विश्वास के साथ उपलब्धि हमें

चुनौतियों का सामना करने के लिये सुदृढ़ करती हैं। हमें इसी भावना से इस समझौते को देखना चाहिये। यहां कुछ सदस्यों को छोड़कर शेष सभी ने इसे पूर्ण समर्थन प्रदान किया है और उसमें निहित भावना का आदर किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। मैं शेख अब्दुल्ला के लिये भी शुभ कामनाएं व्यक्त करती हूं ताकि आगे आने वाले कार्यों से भी निबटा जा सके।

श्री पीलू मोदी : मैं श्री शमीम के प्रति भी शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ प्रतिस्थापन प्रस्ताव आये हैं। एक श्री वाजपेयी द्वारा पेश किया गया है। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिये खेद व्यक्त किया है। इसमें सभा के अवमान की कोई बात नहीं। वह अपने दल की 'रैली' में भाग ले रहे हैं।

प्रश्न यह है कि :

"मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--

"यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सभा में 24 फरवरी, 1975 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् संकल्प करती है कि जम्मू और काश्मीर को शेष भारत के साथ एकीकृत करने के लिये पिछली दो दशाब्दियों से भी अधिक समय से किये जा रहे कार्य को आगे बढ़ाया जाये और इस राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में Ayes	विपक्ष में Noes
8	191

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुरेन्द्र महन्ती द्वारा पेश किया गया एक अन्य प्रतिस्थापन प्रस्ताव है।

श्री सुरेन्द्र महंती : मैं चाहता हूं कि इस पर मत-विभाजन हो।

(अध्यक्ष महोदय प्रतिस्थापन द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ)

The Substitution Motion was put & negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिस्थापन संख्या 1 लेंगे जिसे श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी ने पेश किया है। मैं इसे सभा में मत विभाजन के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सभा में 24 फरवरी, 1975 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् उसका अनुमोदन करती है।"